POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 03.04.2025

थाना एयरपोर्ट पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना एयरपोर्ट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2025 धारा 127(2)/351/137(2)/75 बी0एन0एस0 व 9M/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शुभान उर्फ शुभम पुत्र सगीर निवासी ग्राम खेड़ुवा थाना एयरपोर्ट प्रयागराज को दिनांक 02.04.2025 को थाना एयरपोर्ट परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शुभान उर्फ शुभम पुत्र सगीर निवासी ग्राम खेड़ुवा थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज, उम्र 40 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 - 46/2025 धारा 127(2)/351/137(2)/75 बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो एक्ट थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 परितोष यादव, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.हे0का0 अमरनाथ यादव, थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-19/2025 धारा-103(1)/3(5) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजीत बिन्द पुत्र जोखूलाल बिन्द निवासी ग्राम लालीपुर बनकट थाना बरसठी जनपद जौनपुर को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-03.04.2025 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जंघई के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-06.02.2025 को विकास पाण्डेय(मृतक) पुत्र महेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बाभनपुर थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, उम्र करीब 29 वर्ष का थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत बरियारामपुर गांव के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरायममरेज पर पर मु0अ0सं0-019/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजीत बिन्द पुत्र जोखूलाल बिन्द निवासी ग्राम लालीपुर बनकट थाना बरसठी जनपद जौनपुर, उम्र करीब 25 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-19/2025 धारा-103(1)/3(5) भा0न्या0सं0 थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 दीनानाथ राय, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का0 कमलेश कुमार साहनी, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना नवाबगंज

“Operation Conviction’’ के तहत प्रयागराज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-394/2011 धारा-498(ए)/304(बी) भा0द0सं0 व ¾ डी0पी0 एक्ट के अभियुक्त का दोष सिद्ध का विवरण-

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction’’ अभियान के दृष्टिगत कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक-29.03.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे कक्ष सं0-01 इलाहाबाद द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-394/2011 धारा-498(ए)/304(बी) भा0द0सं0 व ¾ डी0पी0 एक्ट के अभियुक्त विजय कुमार पटेल पुत्र पृथ्वीलाल पटेल निवासी दुखियापुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा-498(ए) भा0द0सं0 में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 02 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा-304(बी) भा0द0सं0 में 12 वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा-04 डी0पी0 एक्ट में 06 माह के साधारण कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोष सिद्ध अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार पटेल पुत्र पृथ्वीलाल पटेल निवासी दुखियापुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-394/2011 धारा-498(ए)/304(बी) भा0द0सं0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

पैरवी करने वाली टीम का विवरण-

1. ए0डी0जी0सी0 अखिलेष सिंह।
2. प्र0नि0 अनिल कुमार मिश्र, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 विन्ध्याचल सिंह, कोर्ट मोहर्रिर।
4. का0 रजनीश, पैरोकार थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

हत्या के प्रयास के अभियोग के 02 वांछित अभियुक्त थाना करछना पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना करछना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-117/2025 धारा 191(2)/191(3)/109/110/352/304(2) बी0एन0एस0 के वांछित 02 अभियुक्तों 1. आकाश पाण्डेय पुत्र रमेश पाण्डेय 2. सागर पाण्डेय पुत्र स्व0 समरजीत पाण्डेय निवासीगण ग्राम नींबी थाना करछना प्रयागराज को आज दिनांक 03.04.2025 को थाना क्षेत्र करछना अन्तर्गत ग्राम घोडेडीह ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी विनोद कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 01.04.2025 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया कि पुराने विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी व वादी के भतीजे के साथ गली गलौज करते हुए अवैध हथियारों से जान से मारने की नियत से हमला करना, जिससे दोनों को चोटे आना तथा वादी का मोबाइल फोन छीन लेना। उक्त प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना करछना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.04.2025 को अभियुक्तगण आकाश पाण्डेय व सागर पाण्डेय को थाना करछना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में धारा-190/288 बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आकाश पाण्डेय पुत्र रमेश पाण्डेय निवासी ग्राम नींबी थाना करछना प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. सागर पाण्डेय पुत्र स्व0 समरजीत पाण्डेय निवासी ग्राम नींबी थाना करछना प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-117/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/109/110/352/288/304(2) बी0एन0एस0 थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सोनू थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 लकी यादव थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

अपहरण के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त थाना माण्डा पुलिस द्वारा गिरफ्तार, अपहृता बरामद

थाना माण्डा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2025 धारा 137(2) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित अभियुक्त शुभम पाल पुत्र अजीत कुमार पाल नि0 चौकठा नरवर थाना माण्डा प्रयागराज को आज दिनांक-03.04.2025 को कनेवरा नहर की पुलिया थाना क्षेत्र माण्डा से गिरफ्तार कर कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी द्वारा खुद की 17 वर्षीय पौत्री के दिनांक 21.01.2025 को पेपर देने के लिए साइकिल से स्कूल जाने व लौट कर घर वापस न आने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत कर थाना माण्डा द्वारा पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में आज दिनांक-03.04.2025 को अपहृता/पीड़िता की बरामदगी करते हुए अभियुक्त शुभम पाल उपरोक्त को थाना क्षेत्र माण्डा से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर अभियोग में धारा 87/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शुभम पाल पुत्र अजीत कुमार पाल नि0 चौकठा नरवर थाना माण्डा प्रयागराज, उम्र 18 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 09/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.म0उ0नि0 श्वेता थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.उ0नि0 रितेश यादव थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।

3.उ0नि0 निहाल गुप्ता थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।

4.उ0नि0 शिवकुमार गोयल थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।

5.का0 संतोष यादव थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।